

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 132/2024/ सरफैसी

भारतीय स्टेट बैंक रासमेक, शाखा कार्यालय- परशुराम चौराहे के पास, उदयपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1. ख्याली लाल कोठारी पुत्र श्री भंवरलाल कोठारी निवासी-मकान न. 955, ज्ञाननगर, सेक्टर 04 हिरणमगरी, उदयपुर 313001 एवं पता- फ्लेट न. जीवीएफ/एम07, प्रथम तल, गोवर्धन अपार्टमेन्ट, गोवर्धन विलास, सेक्टर 14, उदयपुर राज. 31300; एवं पता- द्वारा महाराजा स्टोर एण्ड महाराजा लिंगरी 491, सेक्टर 04 हिरणमगरी, उदयपुर 313001
2. श्रीमती सरोज कोठारी पत्नी श्री ख्याली लाल कोठारी निवासी-मकान न. 955, ज्ञाननगर, सेक्टर 04 हिरणमगरी, उदयपुर 313001 एवं पता- फ्लेट न. जीवीएफ/एम07, प्रथम तल, गोवर्धन अपार्टमेन्ट, गोवर्धन विलास, सेक्टर 14, उदयपुर राज. 313001 एवं पता- द्वारा महाराजा स्टोर एण्ड महाराजा लिंगरी 491, सेक्टर 04 हिरणमगरी, उदयपुर 313001

.....ऋणी/अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002



उपस्थित: श्री राम निवास स्वामी अधिकृत प्रार्थी बैंक

आदेश

दिनांक 01-10-2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय सम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि 23,77,975/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी गई तथा पुनः भुगतान हेतु अप्रार्थीगण की जायदाद (ख्याली लाल कोठारी पुत्र श्री भंवरलाल कोठारी के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति जो फ्लेट न. जीवीएफ/एम07, प्रथम तल, गोवर्धन अपार्टमेन्ट, गोवर्धन विलास, सेक्टर 14, उदयपुर राजस्थान पर स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 803.09 वर्गफीट है। उक्त सम्पत्ति की सीमाएँ निम्नानुसार हैं- उत्तर में जीवीएफ/एम08, प्रथम तल, दक्षिण में खुली जगह, पूर्व में जीवीएफ/एम06, प्रथम तल एवं सिढिया पश्चिम में खुली जगह) को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा

जिला कलक्टर
उदयपुर

करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी किये गये। अतः नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 21.05.2024 तक 25,69,708.89/- रुपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/ हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी को भी सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रुपये 23,77,975/-रुपये की ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 21.05.2024 तक 25,69,708.89/-रुपये वसूल किये जाने हैं। "दी सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्वोरिटी इन्ड्रस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/कम्पनी को कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है एवं इस स्तर पर विचाराधीन हस्तगत कार्यवाही में अप्रार्थीगण/ऋणीयो को अन्य तथ्यो के संबंध में सूने जाने या नये तथ्यों के निस्तारण के संबंध में कोई वैधानिक क्षेत्राधिकारीता इस न्यायालय में निहीत न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त अपनी जायदाद **(ख्याली लाल कोठारी पुत्र श्री भंवरलाल कोठारी के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति जो प्लेट न. जीवीएफ/एम07, प्रथम तल, गोवर्धन अपार्टमेंट, गोवर्धन विलास, सेक्टर 14, उदयपुर राजस्थान पर स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 803.09 वर्गफीट है। उक्त सम्पत्ति की सीमाएँ निम्नानुसार है- उत्तर में जीवीएफ/एम08, प्रथम तल, दक्षिण में खुली जगह, पूर्व में जीवीएफ/एम06, प्रथम तल एवं सिडिया पश्चिम में खुली जगह)** का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को प्रेषित करते हुए लिखा जावे कि बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उनकी मांग अनुसार पुलिस बल उपलब्ध करावें।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।



(अरविन्द कुमार पोसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
उदयपुर